126

संख्याः 3225/VII-II-11/50-ख/2006

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 23 जनवरी, दिसम्बर, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011-12 में खनन प्रशासन के अधिष्ठान हेतु बचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः209/ XXVII (1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011, शासनादेश संख्याः938/ VII-II-11/50-ख/2006 दिनांकः 21 अप्रैल, 2011 तथा शासनादेश संख्याः2808/ VII-II-11/50-ख/2006 दिनांकः 24 नवम्बर,, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में **खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि ₹869 हजार (₹ आठ लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** निम्न विवरणानुसार/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान :-

कोड/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (₹हजार में)
04-यात्रा व्यय	112
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	37
07-मानदेय	37
08-कार्यालय व्यय	103
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	94
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	242
18-प्रकाशन	112
29-अनुरक्षण	19
44-प्रशिक्षण व्यय	19
45-अवकाश यात्रा व्यय	19
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबधी स्टेशनरी का क्रय	75
योग-	869
	₹ आठ लाख उन्हत्तर हजार मात्र।

2- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3- उक्त धनराशि बचनबद्ध मदों में पूर्ण तथा अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अवचनबद्ध मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग करते हुए व्यय विवरण बी0एम0-13 के प्रपत्र पर तैयार कर अवशेष धनराशि की स्वीकृति हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय, ताकि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए उक्त मदों में अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सके।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक: 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 00–आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर) 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011 दिन क: 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3225(1)/VII-II-11/50–ख/2006 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह सक्ता)
अनु सचिव।